भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल

में

कल्याणकारी योजनाएं

विशेष कल्याण निधि

यह निधि भारत–तिब्बत सीमा पुलिस में चलाई जा रही मास्टर व सब्सिडियरी कैंटीनों से अर्जित लाभांश के 30 प्रतिशत शेयर से अराजपत्रित कर्मियों व उनके परिवारों के कल्याण के लिए समर्पित है।

लाभ :

(i) चिकित्सा उपचार :–

- ✓ यह योजना सेवानिवृत्त/मेडिकल बोर्ड आउट हुए अराजपत्रित कर्मियों और सेवानिवृत/मेडिकल बोर्ड आउट हुए/दिवंगत अराजपत्रित कर्मियों के आश्रितों के लिए लागू होगी।
- ✓ यह योजना सेवारत अराजपत्रित कार्मिकों के लिए भी लागू होगी, जो सी.जी.एच.एस. का लाभ नहीं ले रहे हैं (इसमें इनके परिवार के सदस्य शामिल नहीं होंगे)।
- ✓ "चिकित्सा उपचार के लिए" सहायता केवल कैंसर, एच.आई.वी. एड्स, हृदय रोग इत्यादि जैसी जीवन को खतरा पैदा करने वाली बीमारियों के लिए देय होगी। इस योजना का लाथ केवल उन सेवानिवृत्त कर्मियों/उनके परिवारों के लिए देय होगा, जो सी.जी.एच.एस. का लाभ नहीं ले रहे हैं।
- ✓ प्रत्येक मामले के लिए अनुदान रु0 50,000/– तक सीमित रहेगा। प्रति वर्ष मामलों की संख्या उपलब्ध बजट पर निर्भर करेगी।
- ✓ अस्पताल सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए और अनुरोध चिकित्सा दस्तावेजों व चिकित्सक द्वारा उसके पत्रशीर्ष पर उपचार में आने वाले खर्च की राशि के उल्लेख के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
- ✓ मामले सीधे शिकायत एवं कल्याण सेल, महानिदेशालय को भेजे जाएंगे।

(ii) पुत्री की शादी के लिए :–

- ➢ सेवानिवृत्त/मेडिकल बोर्ड आउट एवं दिवंगत अराजपत्रित कर्मियों की 02 अविवाहित पुत्रियों की शादी के लिए जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक हो, के लिए लागू होगी।
- ➢ प्रत्येक मामले के लिए अधिकतम राशि रू0 25000/–सीमित होगी।
- ➢ प्रार्थी का प्रार्थना पत्र उसकी अंतिम वाहिनी/फॉर्मेशन द्वारा अपने स्तर पर जांच के बाद जन्म/आयु प्रमाण पत्र, शादी की निर्धारित तिथि की घोषणा सहित कार्यालय अध्यक्ष की संस्तुति के साथ विवाह तिथि से 02 माह पूर्व महानिदेशालय को प्रेषित किया जाएगा। सीधे प्रेषित किए गए आवेदन स्वीकार्य नहीं होंगे। यदि मामला स्वीकार किया जाता है तो आवेदक को शादी के 03 माह के भीतर विवाह का प्रमाण पत्र प्रेषित करना होगा। विवाह प्रमाण पत्र प्राप्त होने के उपरांत ही राशि का भुगतान किया जाएगा।

(iii) प्राकृतिक आपदाओं के कारण क्षतिग्रस्त हुए मकानों के निर्माण हेतु सहायता :–

- ● यह सहायता सेवानिवृत्त एवं दिवंगत अराजपत्रित कार्मिकों के आश्रितों के लिए लागू होगी।
- ● प्रत्येक मामले के लिए अधिकतम अनुदान राशि रू0 50,000/– तक सीमित होगी।
- ● मकान आवेदक अथवा उसकी पत्नी व बच्चों के नाम एकमात्र आवासीय घर होना चाहिए, इस आशय की घोषणा का शपथ पत्र दिया जाना चाहिए।
- ● मकान के क्षतिग्रस्त होने का प्रमाण पत्र संबंधित पूर्व कर्मी द्वारा उसकी अंतिम वाहिनी/फॉर्मेशन के इंजीनियर को प्रस्तुत किया जाएगा, जो सत्यापन के लिए अतिरिक्त दस्तावेजों की मांग कर सकते हैं। इंजीनियर स्वयं की संतुष्टि के उपरान्त अपनी संस्तुति सहित प्रकरण संबंधित कार्यालयाध्यक्ष को प्रस्तुत करेगा जो पुनः मामले को अपनी संस्तुति के साथ अनुदान हेतु कल्याण शाखा, महानिदेशालय को प्रेषित करेंगे।

(iv) अत्यंत गरीबी की स्थिति में जीवन यापन कर रहे दिवंगत अराजपत्रित कर्मियों के माता–पिता के लिए सहायता :–

- ○ दिवंगत अराजपत्रित कार्मिकों के माता–पिता जिनके अन्य पुत्र/पुत्री ने अनुकम्पा आधार पर नौकरी प्राप्त नहीं की है तथा जो अत्यंत गरीबी में जीवन यापन कर रहे हैं, वे वित्तीय अनुदान के लिए बल में आवेदन कर सकते हैं।
- ○ प्रति मामले हेतु अनुदान की अधिकतम सीमा रू0 25,000/– सीमित है तथा अधिकार के रूप में इसका दावा नहीं किया जा सकता।
- ○ आवेदक दिवंगत कर्मी की अंतिम वाहिनी में आश्रितों के आय प्रमाणपत्र, अश्रितों का विवरण, उनकी शैक्षणिक योग्यता व आयु प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा।
- ○ वाहिनी/संस्थान कमान अधिकारी आवेदक द्वारा प्रस्तुत तथ्यों की पुष्टि विशेष संदेश वाहक के माध्यम से करवाने के बाद यदि मामले को योग्य समझता हं तो अपनी संस्तुति सहित मामला महानिदेशालय, कल्याण प्रकोष्ठ को प्रेषित करेगा।

(v) सेवारत/सेवानिवृत्त/दिवंगत अराजपत्रित कर्मियों के दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के लिए सहायता:–

- ✓ आयु/कक्षा की अपेक्षा किए बिना यदि कोई दिव्यांग बच्चा किसी संस्थान में दाखिला ले लेता है तो वह विशेष कल्याण निधि से एकमुश्त अनुदान राशि रु0 50,000/– का पात्र होगा।
- ✓ प्रति वर्ष 10 मामलों को ही यह अनुदान देय किया जाएगा, 10 से अधिक मामले प्राप्त होने पर निदेशक चिकित्सा द्वारा प्रस्तुत विकलांगता प्रतिशत/डिग्री के आधार पर प्राथमिकता निर्धारित की जाएगी।
- ✓ अनुदान हेतु आवेदन विकलांगता का प्रमाण पत्र एवं संस्थान में प्रवेश प्रमाण पत्र सहित कर्मी की तैनाती इकाई/अंतिम इकाई को प्रेषित किया जाएगा।
- ✓ संबंधित कार्यालयाध्यक्ष मामले को कल्याण प्रकोष्ठ, महानिदेशालय को अग्रेसित करेंगे।
- ✓ आवेदन सभी समर्थित दस्तावेजों सहित प्रत्येक वर्ष 30 नवम्बर तक प्राप्त किए जाएंगे तथा अनुदान अगले वर्ष माह जनवरी में आबंटित किया जाएगा।

(vi) उच्चतर सरकारी संस्थानों में शिक्षा प्राप्त कर रहे दिवंगत अराजपत्रित कार्मिकों (जिनकी मृत्यु सेवा के दौरान हुई हो) के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति:–

जो बच्चे निम्नलिखित संस्थानों में दाखिला प्राप्त करते हैं उन्हें रू0 50,000/–की प्रारंभिक छात्रवृत्ति देय होगी।

क. सरकारी मेडिकल कॉलेज।

ख. सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज।

ग. क्लैट (CLAT) (कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट) के माध्यम से पाँच वर्षीय इंटीग्रेटेड अंडर ग्रेजुएट लॉ प्रोग्राम।

घ. चयनित बच्चों को प्रत्येक वर्ष कक्षा/कोर्स उत्तीर्ण करने पर रु0 50,000/– की छात्रवृत्ति दी जाएगी। अनुत्तीर्ण होने पर छात्रवृत्ति बंद कर दी जाएगी।

ङ. आवेदक द्वारा आवेदन दिवंगत कर्मी की अंतिम वाहिनी को संबंधित संस्थान के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र (कि बच्चा उक्त संस्थान में अध्ययनरत् है) एवं अंक तालिका की अनुप्रमाणित प्रति के साथ वाहिनी स्तर पर जाँच पड़ताल के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।

च. वाहिनी द्वारा आवेदन की जांच करने के उपरांत मामला अपनी संस्तुति सहित छात्रवृत्ति (आरंभिक/आगामी) देय करने हेतु कल्याण प्रकोष्ठ, महानिदेशालय को भेजा जाएगा।

(vii) दिवंगत अराजपत्रित कार्मिकों (जिनकी मृत्यु सेवा के दौरान हुई है) के दिव्यांग बच्चों तथा भा.ति.सी.पु. के पूर्व दिव्यांग कार्मिक (अराजपत्रित अधिकारी) जिनकी विकलांगता 50 प्रतिशत से अधिक हो, के लिए गतिशीलता उपकरण हेतु अनुदान:–

क. दिवंगत अराजपत्रित कार्मिकों (जिनकी मृत्यु सेवा के दौरान हुई है) के दिव्यांग बच्चों व भा.ति.सी.पु. के पूर्व दिव्यांग कार्मिक (अराजपत्रित अधिकारी), जिनकी विकलांगता 50 प्रतिशत से अधिक हो, वे गतिशीलता उपकरण अनुदान हेतु पात्र होंगे।

ख. आवेदन दिवंगत/पूर्व कर्मी की अंतिम वाहिनी को भेजा जाएगा तथा संबंधित कार्यालय मामले की जाँच पड़ताल कर उसे कल्याण प्रकोष्ठ, महानिदेशालय को प्रेषित करेगी। प्रत्येक मामले में अनुदान उपकरण का वास्तविक मूल्य या रु0 60,000/–(अधिकतम अनुदान सीमा) जो भी कम हो, देय किया जाएगा।

(viii) सभी पदाधिकारियों के अनाथ बच्चों के लिए वित्तीय सहायता:–

पात्रता

क. आवेदक कर्मी की वैध संतान होनी चाहिए।

ख. अनाथ पुत्र की अधिकतम आयु 21 वर्ष एवं पुत्री अविवाहित होनी चाहिए।

यदि अनाथ बच्चा नाबालिग है व उसके कानूनी अभिभावक इच्छुक हैं तो उसे भा.ति.सी.पु. के उपलब्ध छात्रावास की सुविधा वाले पब्लिक स्कूल में दाखिला दिलाया जा सकता है। शिक्षा का पूरा खर्च (जिसमें फीस/वर्दी/लेखन सामग्री/रहना व खाना शामिल हैं) विशेष कल्याण निधि से वहन किया जाएगा। बच्चे की शिक्षा के खर्च की प्रतिपूर्ति संबंधित भा.ति.सी.पु. के पब्लिक स्कूल को स्कूल प्राधिकारियों द्वारा आवश्यक रसीदें जमा करने पर की जाएगी। बच्चे को स्कूल में दाखिले की अवधि से कक्षा 12वीं
उत्तीर्ण करने तक प्रत्येक माह रु 500/– जेब खर्च भी दिया जाएगा। यदि अनाथ बच्चा बालिग एवं इच्छुक है, तो उसे भा.ति.सी.पु. बल के किसी भी पब्लिक स्कूल में दाखिला दिया जा सकता है और वह 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने अथवा 21 वर्ष की आयु होने तक, जो भी पहले हो, ऊपर दिए गए सभी लाभ प्राप्त करने का हकदार होगा।

स्कूली शिक्षा पूर्ण करने पर किसी भी सरकारी संस्थान से उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए अनाथ बच्चे की ट्यूशन फीस व अनिवार्य प्रभार छात्रावास फीस सहित विशेष कल्याण निधि से वहन किए जाएंगे और जिसका भुगतान सीधे बच्चे के खाते में, उसके द्वारा संबंधित संस्थान के सक्षम प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित दाखिला प्रमाणपत्र एवं आवश्यक रसीदें प्रस्तुत करने पर कर दिया जाएगा। सरकारी शिक्षण संस्थान में एक बार दाखिला हो जाने पर मासिक जेब खर्च रुपये 1,000/– भी बच्चे के खाते में जमा कर दिया जाएगा। बच्चे की आयु 21 वर्ष हो जाने पर अनुदान बंद कर दिया जाएगा। यह सहायता सेवा से हटाए/बर्खास्त किए दिवंगत कार्मिकों के बच्चों के लिए लागू नहीं होगी।

भा.ति.सी.पु कर्मचारी शैक्षिक संस्थाः

आईटीबीपी कर्मचारी शैक्षिक संस्था में क्रमशः राजपत्रित अधिकारी का रू0 40/– प्रतिमाह, अधीनस्थ अधिकारी का रू0 30/– प्रतिमाह और अराजपत्रित अधिकारी का रू0 20 प्रतिमाह का अंशदान लिया जाता है। इसका उद्देश्य शैक्षणिक संस्थान स्थापित करना, जॉब ओरियन्टिड तकनीकी संस्थानों की की स्थापना, शिक्षा संबंधी परेशानियों का समाधान, शैक्षिक निधि की देखरेख आदि हैं। 135 अराजपत्रित व 10 राजपत्रित बल अधिकारियों के बच्चों के लिए उच्च तकनीकी/व्यावसायिक शिक्षा के लिए 2.5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 5 लाख रूपए का शिक्षा ऋण मुहैया करवाना।

महानिदेशक, भा.ति.सी.पु बल छात्रवृत्ति योजनाः–

यह योजना बल में कार्यरत उन पदाधिकारियों के बच्चों के लिए है जिन्होंने 10वीं और 12वीं कक्षा में 75 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हों। ऐसे मामले सीधे शिक्षा शाखा, महानिदेशालय, भा.ति. सी.पु. में भेजे जाए।

	10वीं कक्षा		12वीं कक्षा	
75–80 प्रतिशत	लड़का	लड़की	लड़का	लड़की
	रू. 2000/–	रू. 2200/–	रू. 5000/–	रू. 6000/–
80–90 प्रतिशत	रू. 5000/–	रू. 6000/–	रू. 12000/–	रू. 13000/–
90–95 प्रतिशत	रू. 10000/–	रू. 11000/–	रू. 16000/–	रू. 17000/–
95 प्रतिशत या उससे अधिक	रू. 30000/–	रू. 35000/–	रू. 40000/–	रू. 45000/–
सर्वश्रेष्ठ प्रतिशत/अंक प्राप्त करने पर	आईटीबीपी में सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी रू. 50000/–		आईटीबीपी में सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी रू. 75000/–	

नोटः दोनों मामलों (अर्थात 10वीं एवं 12वीं कक्षाओं) में सर्वाधिक अंक अर्जित करने वाले बच्चों के लिए छात्रवृत्ति का निर्धारण निम्नलिखित मापदंडों के तहत किया जाएगाः–

क. यदि राजपत्रित अधिकारी का बच्चा (लडका/लडकी) सर्वाधिक अंक अर्जित करता है तो अराजपत्रित कर्मी के सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले बच्चे को भी पुरस्कृत किया जाएगा।

ख. यदि सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाला कोई पुत्र होता है तो सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाली पुत्री को भी पुरस्कृत किया जाएगा।

व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए नगद व छात्रवृत्ति निम्नानुसार देय हैः–

व्यावसायिक पाठ्यक्रम	नगद पुरस्कार/छात्रवृत्ति (रू. में)
आईआईटी/एनआईटी/सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मेडिकल कॉलेज/आईआईएम/आईआईएस आदि से 2 से 5 वर्षों के व्यावसायिक जॉब संबंधी स्नातक/स्नातकोत्तर प्रोग्राम/कोर्स के लिए	1,00,000/–
किसी अन्य समरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से व्यावसायिक जॉब संबंधी स्नातक/स्नातकोत्तर प्रोग्राम/कोर्स के लिए	50,000/–

सेवारत/दिवंगत, आईटीबीपी कार्मिकों के आश्रित बच्चों के लिए नगद पुरस्कार/छात्रवृत्ति निम्नानुसार देय है, जिन्होंने खेलों में उल्लेखनीय उपलब्धि/ पदक प्राप्त किए हैं:–

स्तर	जीते गए पदक का प्रकार	नगद पुरस्कार की धनराशि (रू. में)
स्कूल नेशनल	स्वर्ण	2000

	रजत	15000
	कांस्य	10000
ओपन नेशनल लेवल (यूथ/जूनियर/सब जूनियर)	स्वर्ण	40000
	रजत	30000
	कांस्य	20000
राष्ट्रीय चैम्पियनशिप (राज्य का प्रतिनिधित्व करते हुए) (यूथ/जूनियर/सब जूनियर)	स्वर्ण	50000
	रजत	35000
	कांस्य	25000
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर	स्वर्ण	200000
	रजत	100000
	कांस्य	75000
एशियन गेम्स	स्वर्ण	500000
	रजत	300000
	कांस्य	200000
	भागीदारी	100000
ओलंपिक गेम्स	स्वर्ण	1000000
	रजत	600000
	कांस्य	400000
	भागीदारी	200000

प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना :-

क. 2,000 छात्रवृत्तियां (1000 लड़कों के लिए और 1000 लड़कियों के लिए)

ख. रुपये–2250/– प्रतिमाह प्रति लड़की और रुपये–2,000/– प्रतिमाह प्रति लड़के को सालाना भुगतान किया जाता है।

ग. सरकारी शासी निकायों द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों में केवल पहले व्यावसायिक पाठ्यक्रमों जैसे बी.ई., बी.टेक, बीडीएस, एम.बी.बी.एस., बी.एड., बीबीए, बीसीए, बी.फार्मा, बी.एस.सी. (नर्सिंग, कृषि आदि) हेतु।

घ. अवधि 1 से 5 साल (पाठ्यक्रम की अवधि पर निर्भर और नियामक संस्था द्वारा यथा अनुमोदित)

ङ. www.scholarship.gov.in पर पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है।

च. किसी भी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के बच्चों के लिए कोटा निर्धारित नहीं है।

श्रेणी वार वरीयता:-

श्रेणी–एः केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और असम राइफल कर्मियों के बच्चों/वीर नारियों के लिए देय जो किसी कार्रवाई में शहीद हुए हों।

श्रेणी–बीः पूर्व केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और असम राइफल के उन कार्मिक के लिए जो किसी कार्रवाई के दौरान अशक्त हुए हों।

श्रेणी–सीः केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और असम राइफल के उन दिवंगत कार्मिकों के बच्चों/वीर नारियों के लिए, जिसकी मृत्यु सरकारी ड्यूटी का निर्वहन करते हुए हुई हो। इसमें चुनाव ड्यूटी भी शामिल है।

श्रेणी–डीः पूर्व केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और असम राइफल के उन कार्मिकों के बच्चों के लिए देय है जो सरकारी ड्यूटी के कारण अशक्त हुए हों।

श्रेणी–ईः पूर्व केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और असम राइफल के गैलेन्ट्री पुरस्कार प्राप्त कार्मिकों के बच्चों के लिए।

श्रेणी–एफः पूर्व केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और असम राइफल के अराजपत्रित कर्मियों के बच्चों के लिए।

श्रेणी–जीः केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और असम राइफल के सेवारत अराजपत्रित कर्मियों के बच्चों के लिए।

सरोजिनी दामोदरन फाउंडेशन छात्रवृति

केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और असम राइफल के कर्मियों के बच्चों के लिए देय है, जिन्होंने ड्यूटी के दौरान अपने प्राणों का बलिदान दिया एवं जो ड्यूटी के दौरान स्थायी रूप से अक्षम हो गए या सेवा से चिकित्सा आधार पर जिन्हें बोर्ड आउट कर दिया गया। ऐसे मामले कर्मी की अंतिम वाहिनी से शिकायत एवं कल्याण प्रकोष्ठ, महानिदेशालय, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल में प्रेषित किए जाएंगे जिनकी जांच करने के उपरांत उन्हें गृह मंत्रालय को प्रेषित किया जाएगा।

क. कक्षा पहली से कक्षा 12वीं तक के बच्चों के लिए।

ख. कक्षा पहली से कक्षा चौथी तक रुपये 500/– प्रतिमाह।

ग. कक्षा 5वीं से कक्षा 7वीं तक रुपये 750/– प्रतिमाह।

घ. कक्षा 8वीं से कक्षा 12वीं तक रुपये 1000/– प्रतिमाह।

ङ. प्रत्येक वर्ष पांच सालों के लिए 300 छात्रवृत्तियां दी जा रही हैं।

च. यह छात्रवृत्ति वर्ष 2016 में शुरू हुई थी।

पुलिस मेमोरियल फंड छात्रवृत्तिः-

क. यह आसूचना ब्यूरो, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा प्रारंभ की गई है।

ख. ड्यूटी के दौरान दिवंगत हुए अराजपत्रित कर्मचारियों के बच्चों को देय है।

ग. व्यावसायिक शिक्षा के लिए रुपए 15000/– वार्षिक (एमबीबीएस, बी.टेक, एमबीए, एमसीए, बी.ई. आदि)।

घ. सामान्य शैक्षणिक विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम के लिए रुपए 5000/– वार्षिक (बी.ए., बी.कॉम, एम.एस.सी., एम.सी.ए. आदि)।

ङ. व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए 05 छात्रवृत्तियां।

च. सामान्य शैक्षणिक विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम के लिए 10 छात्रवृत्तियां।

छ. मेरिट आधार पर + संस्थान के स्तर/संस्थान की प्रतिष्ठा पर आधारित।

ज. सीटों की संख्या बजट की उपलब्धता के आधार पर निर्भर है।

झ. शिकायत एवं कल्याण प्रकोष्ठ, महानिदेशालय, भा.ति.सी.पुलिस बल प्रत्येक वर्ष समस्त वाहिनियों से नामांकन प्राप्त कर योग्य नामांकनों को आसूचना ब्यूरो (आई.बी.) को प्रेषित करता है।

केन्द्र सरकार द्वारा एकमुश्त अनुग्रह मुआवजा धनराशिः–

1) मृत्यु परः–

परिस्थिति	धनराशि (रू0 में)
सेवा के दौरान दुर्घटना में मृत्यु होने पर	25 लाख
आतंकवादियों, समाज विरोधी तत्वों आदि के द्वारा की गई हिंसा के दौरान मृत्यु पर	25 लाख
सीमावर्ती संघर्ष, आतंकवादियों, चरमपंथियों, समुद्री डाकुओं के खिलाफ कार्रवाई के दौरान मृत्यु होने पर	35 लाख
प्राकृतिक आपदाओं, अत्यधिक खराब मौसम स्थिति, उच्च तुंगता और दुर्गम सीमा चौकियों आदि पर सेवा के दौरान मृत्यु होने पर	35 लाख
युद्ध के दौरान दुश्मन की कार्रवाई या ऐसे युद्ध में होने वाली मृत्यु, जो विशेष रूप से रक्षा मंत्रालय द्वारा अधिसूचित हो और विदेशों में युद्ध–ग्रस्त क्षेत्र से भारतीय नागरिकों को निकालने के दौरान मृत्यु पर	45 लाख

2) सेवा से चिकित्सा बोर्ड आउट होने परः– केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मी जो विभिन्न परिस्थितियों में अपने आधिकारिक कर्त्तव्यों के निष्पादन के दौरान अक्षम हो जाते हैं और सेवा में विकलांगता के कारण अयोग्य होने पर सेवा से बोर्ड आउट हो जाते हैं, उन्हें 100 प्रतिशत अक्षमता के लिए 20 लाख रू0 की अनुग्रह राशि मुआवज़े के रूप में दी जाएगी। 100 प्रतिशत से कम अक्षमता वाले मामलों के लिए विकलांगता की डिग्री के अनुपात में अनुग्रह राशि मुआवज़े को कम किया जा सकता है, हलांकि न्यूनतम 20 प्रतिशत अक्षमता अनुग्रह राशि के मुआवज़े के लिए शर्त होगी।

राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश सरकारों द्वारा सेवा के दौरान मृत्यु/दिव्यांग होने पर के. स. पु. ब./ अ. रा. कर्मिकों के उत्तराधिकारियों के लिए अनुग्रह राशि/ अन्य लाभों का विवरण :–

नोटः– विस्तृत जानकारी कल्याण एवं पुनर्वास बोर्ड, वार्ब, कमरा न0 204–205, द्वितीय तल, एफ. विंग, निर्माण भवन, गृह मंत्रालय (भारत सरकार), नई दिल्ली–110011, दूरभाष नं0–011–23063111, ई–मेल आई.डी.–secywarb-mha@nic.in, वेबसाइट–www.warb-mha.gov.in और अंतिम तैनाती वाहिनी/कल्याण प्रकोष्ठ, महानिदेशालय, भा.ति.सी.पु. बल से प्राप्त की जा सकती है।

1) अरूणाचल प्रदेश :– के.स.पु.ब/सशस्त्र बलों के कार्मिकों के अरुणाचल प्रदेश में कर्तव्यों का निष्पादन करते हुए या राज्य सरकार के अनुरोध पर कानून और व्यवस्था ड्यूटी के दौरान आतंकवादियों/प्रतिविद्रोहिता में हुई मुठभेड़ में गम्भीर रुप से घायल होने पर अथवा उनकी मृत्यु/विकलांगता होने की दशा में उनके उत्तराधिकारियों के लिए लागू हैः–

परिस्थिति	धनराशि (रू0 में)
मृत्यु होने पर	50 लाख
स्थाई अक्षमता होने पर	10 लाख
गंभीर चोट लगने पर	50 हजार

2) असमः– राज्य सरकार के कर्मचारियों, होम गार्ड, सेना के कर्मियों और केन्द्रीय अर्धसैनिक बलों (सीपीएमएफ) के उत्तराधिकारियों के लिए लागू है जो कि राज्य में प्रतिविद्रोहिता के लिए तैनात हैं:–

परिस्थिति	धनराशि (रू0 में)
मृत्यु होने पर	20 लाख
50 प्रतिशत या इससे अधिक अक्षमता होने पर	02 लाख
गैर–गंभीर चोट लगने पर	25 हजार

इसके अतिरिक्त, गैलेन्ट्री मेडल प्राप्त कर्मियों के लिए पाँच लाख और विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित कर्मियों के लिए तीन लाख रुपये दिए जाने का प्रावधान है।

3) आन्ध्र प्रदेशः– चरमपंथी/आतंकवादी हिंसा के दौरान घायल/मृत/स्थायी रूप से अक्षम पुलिस कर्मियों/नागरिकों/गैर–अधिकारियों (राज्य के निवासी) के उत्तराधिकारियों के लिए हैः–

लाभार्थियों की श्रेणी	चरमपंथी/आतंकवादी हिंसा में मृत्यु के मामलों में	चरमपंथी/आतंकवादी हिंसा में स्थाई अक्षमता के मामले में	चरमपंथी/आतंकवादी हिंसा में गंभीर चोट के मामले में
अन्य विभागों के पुलिस अधिकारी व अधिकारीः–			
पी.सी. और अन्य विभागों में सिविल सेवकों के उप निरीक्षक और समकक्ष पद तक के अधिकारी	25 लाख	10 लाख	03 लाख
अन्य विभागों में सिविल सेवकों के निरीक्षक और उच्च पद और समकक्ष पद के अधिकारी	30 लाख	10 लाख	03 लाख

4) बिहार :– बिहार राज्य में ड्यूटी के दौरान हुई कार्रवाई/मुठभेड़/नक्सली हमले में शहीद हुए बिहार राज्य के कर्मियों एवं अन्य राज्य के कार्मियों के के उत्तराधिकारियों के लिए लागू हैः–

परिस्थिति	धनराशि (रू0 में)
मृत्यु होने पर	11 लाख

5) छत्तीसगढ़ :– छत्तीसगढ़ में नक्सली हिंसा के दौरान के.स.पु.ब और अन्य राज्य के शहीद कर्मियों के उत्तराधिकारियों के लिए लागू है।

परिस्थिति	धनराशि (रू0 में)

मृत्यु होने पर	03 लाख

6) चण्डीगढ़ :– राज्य में कार्रवाई के दौरान मृत्यु होने पर

परिस्थिति	धनराशि (रू0 में)
यदि राज्य से संबंधित है तो	05 लाख
यदि राज्य से संबंधित नहीं है तो	02 लाख

7) दिल्ली :– यदि सेवा में शामिल होने के समय कर्मी का स्थायी पता दिल्ली का है तो किसी ओपरेशन/युद्ध के दौरान शहीद होने वाले रक्षा और केन्द्रीय अर्धसैनिक कर्मियों के लिए लागू :–

- दिल्ली सरकार के अंतर्गत काम कर रहे अर्धसैनिक बल/सैन्य कर्मियों/दिल्ली पुलिस के भरोसेमंद अधिकारियों की ड्यूटी के दौरान मृत्यु होने पर।

परिस्थिति	धनराशि (रू0 में)
राज्य या राज्य के बाहर सेवा के दौरान मृत्यु होने पर	रू0 01 करोड़ और दिल्ली सरकार में समूह 'ग' या 'घ' के पदों पर कर्मी के उत्तराधिकारी को नौकरी

- कुल अनुग्रह राशि रुपए 01 करोड़ होगी। 50 लाख रुपए एकमुश्त उत्तराधिकारियों को भुगतान किया जाएगा जबकि 50 लाख की राशि को सावधि जमा योजना में रखा जाएगा जो अगले 10 वर्षों के अंत में उत्तराधिकारी को दी जाएगी। इस योजना के तहत 10 वर्षों का ब्याज उत्तराधिकारी को एक स्कीम के तहत देय किया जाएगा जिसकी प्रक्रिया सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाएगा। दिल्ली सरकार में समूह–ग या घ पदों पर शैक्षिक योग्यता के आधार पर रोजगार दिया जाएगा बशर्ते संबंधित रक्षा/पुलिस संगठन द्वारा रोजगार की पेशकश नहीं की गई हो।

8) गुजरात :–

परिस्थिति	धनराशि (रू0 में)
गुजरात राज्य में किसी भी कार्रवाई के दौरान शहीद हुए गुजरात राज्य के कर्मी या वे गैर राज्यीय कर्मी जो गुजरात राज्य में किसी कार्रवाई में शहीद होने पर	01 लाख

9) गोवा :– (राज्य के निवासी जो राज्य अथवा बाहर शहीद हुए हों):–

परिस्थिति	धनराशि (रू0 में)
प्रत्येक मृत्यु के मामले में	10 लाख
विकलांगता पर	03 लाख
मृत्यु सरकारी/सैन्य सेवा के दौरान हुई हो	08 लाख
विकलांगता सरकारी/सैन्य सेवा के दौरान हुई हो	02 लाख
आतंकवादियों/समाज विरोधी तत्वों आदि के द्वारा की गई हिंसा में मृत्यु होने पर	08 लाख
आतंकवादियों/समाज विरोधी तत्वों आदि के द्वारा की गई हिंसा में विकलांगता होने पर	02 लाख

10) हरियाणा :– (राज्य के निवासी)

- युद्ध या उग्रवादी/आतंकवादी हमले में संचलन क्षेत्र में सेवारत शहीद हुए या आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन में विकलांग होने वाले सीएपीएफ के परिवार के सदस्यों के लिए लागू है:–

परिस्थिति	धनराशि (रू0 में)
उग्रवादियों/आतंकवादियों आदि के खिलाफ युद्ध/कार्रवाई में शहीद हुए	50 लाख
आंतरिक सुरक्षा ड्यूटी, ओपरेशन, चुनाव ड्यूटी, प्राकृतिक आपदाओं और बचाव अभियानों आदि में शहीद हुए	50 लाख
75 प्रतिशत या इससे अधिक विकलांगता होने पर	35 लाख
50 से 74 प्रतिशत विकलांगता होने पर	25 लाख
25 से 49 प्रतिशत विकलांगता होने पर	15 लाख

- यह राशि केवल उन मामलों में देय होगी जो दिनांक 01.11.2016 को या उसके बाद घटित हुए हों और सेवा में शामिल होने के दौरान कर्मी हरियाणा का निवासी था।

11) हिमाचल प्रदेश:– (हिमाचल प्रदेश राज्य के सैनिकों/अर्धसैनिक बलों के कर्मियों के उत्तराधिकारियों के लिए लागू)।

परिस्थिति	धनराशि (रू0 में)
लड़ाई के दौरान मृत्यु होने पर	05 लाख
ओपरेशन के दौरान अक्षम सैनिक (50 प्रतिशत विकलांगता या ऊपर)	1.5 लाख
ओपरेशन के दौरान अक्षम सैनिक (50 प्रतिशत विकलांगता से नीचे)	75 हजार
शारीरिक चोट लगने पर	35 हजार
हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा अर्धसैनिक बलों के कार्मिकों की विभिन्न ऑपरेशनों/मुठभेड़ में मृत्यु होने पर, अनुग्रह राशि और उनके एक योग्य आश्रित को नौकरी देने का प्रावधान रखा गया है।	

12) झारखण्ड:– आतंकवादी/नक्सली गतिविधियों में शहीद हुए कर्मियों के उत्तराधिकारियों के लिए:–

परिस्थिति	धनराशि (रू0 में)
यदि राज्य में कार्रवाई के दौरान शहीद हुए हैं, चाहे राज्य के निवासी हैं या नहीं	2.5 लाख

13) जम्मू एवं कश्मीर :–

क. आधिकारिक कार्यों का निर्वहन के दौरान शहीद अथवा अक्षम या दुष्परिणामों से प्रभावित होने वाले कर्मियों के लिए लागू ।

ख. अनुग्रह सहायता राशि की मंजूरी गृह विभाग द्वारा दी जाएगी।

ग. लाभार्थी को भुगतान संबंधित अर्धसैनिक बलों की स्थानीय इकाई के सेनानी के माध्यम से किया जाएगा।

घ. उन अर्धसैनिक बलों के कर्मियों के उत्तराधिकारियों के लिए भी देय जो जम्मू–कश्मीर क्षेत्राधिकार में आतंकी घटनाओं में छुट्टी के दौरान अथवा इंटर स्टेशन मुवमेंट के दौरान शहीद हुए हैं।

परिस्थिति	धनराशि (रू0 में)
शहीद होने पर (गैर राज्यीय निवासी)	02 लाख
शहीद होने पर (राज्य के निवासी)	05 लाख
स्थाई अक्षमता के लिए	75 हजार
आंशिक अक्षमता के लिए	10 हजार

14) कर्नाटक :– कर्नाटक के सैनिकों के लिए जो युद्ध या युद्ध जैसी परिस्थितियों में शहीद हुए हों।

परिस्थिति	धनराशि (रू0 में)
फरवरी, 2016 से माननीय मुख्यमंत्री राहत निधि से युद्ध में शहीदों की वीर नारियों के लिए	25 लाख
किसी कार्रवाई के दौरान शहीद व पूर्णतया अक्षम सैनिकों के लिए	05 लाख
घायल व लापता सैनिकों के लिए	01 लाख

क. 2 एकड़ आर्द्र या 4 एकड़ जलयुक्त या 87 एकड़ सूखी भूमि किसी कार्रवाई के दौरान शहीद हुए कर्मियों के परिवारों को दी जाएगी, यदि भूमि आबंटन के लिए उपलब्ध नहीं है, तो रुपये 10 लाख नगद अनुदान स्वीकार्य है।

ख. युद्ध दुर्घटना में मारे गए अधिकारियों/जे.सी.ओ के लिए मुफ्त निर्मित मकान या क्रमशः रुपए 6 लाख और रूपए 4.5 लाख स्वीकार्य है।

ग. साइट के बदले में

स्थान	अधिकारी/अधीनस्थ अधिकारी	अन्य रैंक
	40 गुणा 60 वर्ग आकार का मुफ्त क्षेत्रफल या बदले में	30 गुणा 40 वर्ग आकार का मुफ्त क्षेत्रफल या बदले में
बैंगलूरू में	रू0 25 लाख	रू0 20 लाख
अन्य स्थानों पर	रू0 20 लाख	रू0 15 लाख

घ. पूर्व सैनिक कोटे के तहत युद्ध में शहीद हुए आश्रितों के लिए रोजगार में आरक्षण।

ङ. युद्ध के दौरान अक्षम हुए सैनिकों की वीर नारियों की प्रत्येक पुत्री के विवाह के लिए रूपए 1,00,000/– का अनुदान।

च. युद्ध के शहीदों के लिए 15 साल में एक बार मकान मरम्मत हेतु रुपए 3,00,000/– का अनुदान।

छ. युद्ध के दौरान शहीदों के लिए हाउस टैक्स प्रतिपूर्ति।

ज. 1978 से पहले युद्ध में मारे गए सैनिकों की वीर नारियों के लिए रुपए 3000/– मासिक मानदेय।

15) केरल :– चरमपंथी/नक्सलियों या आतंकवादियों के साथ लड़ाई के दौरान शहीद/अक्षम हुए रक्षा बल/अर्धसैनिक बल के कर्मियों के लिए लागू है, जिन्हें 'मुख्यमंत्री सैनिक कल्याण निधि' के दायरे में शामिल किया गया है।

परिस्थिति	धनराशि (रू0 में)
जम्मू कश्मीर में आतंकवाद विरोधी गतिविधियों के दौरान लड़ते हुए शहीद हुए राज्य के निवासी	10 लाख
केरल में चरमपंथी/नक्सली के साथ लड़ते हुए शहीद होने पर (राज्य या राज्य के बाहर के निवासी)	05 लाख
केरल में चरमपंथी/नक्सली के साथ लड़ते हुए गंभीर रूप से घायल होने पर (राज्य या राज्य के बाहर के निवासी)	03 लाख

➢ घायल/अक्षम मामलों में मुख्यमंत्री की सैनिक कल्याण निधि समिति चोट या अक्षमता की प्रकृति के आधार पर राशि का निर्धारण करेगी।

16) मध्य प्रदेश :– सेना/के.स.पु.ब के शहीद हुए उत्तराधिकारियों के लिए लागू है जो राज्य के निवासी हैं।

परिस्थिति	धनराशि (रू0 में)
मृत्यु या 100 फीसदी अक्षमता होने पर	10 लाख
50 प्रतिशत अक्षमता होने पर	05 लाख
25 प्रतिशत अक्षमता होने पर	2.5 लाख
लड़की/बहन की शादी हेतु	10 हजार
अनुकम्पा के आधार पर आश्रितों को नौकरी।	

17) महाराष्ट्र :– (राज्य में या राज्य के बाहर शहीद होने पर)

परिस्थिति	धनराशि (रू0 में)
मृत्यु के मामले में (महाराष्ट्र के निवासियों को और अन्य राज्य के निवासी जो राज्य में हुई कार्रवाई के दौरान शहीद हुए	10 लाख

हों)	
एसआरई स्कीम के अलावा सभी शहीद कार्मिकों के उत्तराधिकारियों को देय (राज्य के निवासी जो अन्य राज्यों में कार्रवाई के दौरान शहीद हुए हैं)	03 लाख

18) मेघालय :– (के.स.पु.ब/राज्य पुलिस/होम गार्ड के कर्मियों के परिवारों के लिए लागू, जिनकी मृत्यु राज्य में कानून व्यवस्था संबंधी कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान, अन्य ड्यूटी करते हुए, मुठभेड़, उग्रवादी कार्रवाई, चरमपंथी या आतंकवादी कार्रवाई इत्यादि से जुड़े मामलों या घटनाओं में हुई हो और वे राज्य के निवासी हो:–

परिस्थिति	धनराशि (रू0 में)
राज्य में शहीद होने पर	7.5 लाख
राज्य में घायल/चोटिल होने पर	01 लाख
राज्य के बाहर किसी कार्रवाई में शहीद होने पर	01 लाख
राज्य के बाहर चोटिल/घायल होने पर	20 हजार

19) मिज़ोरम :– कार्रवाई के दौरान मारे गए कर्मियों के आश्रितों के लिए लागू (राज्य के निवासी/गैर राज्य निवासी)

परिस्थिति	धनराशि (रू0 में)
मृत्यु के मामले में	05 लाख

20) नागालैंड :– नागालैंड के निवासी जो राज्य या राज्य के बाहर किसी कार्रवाई के दौरान शहीद हुए हैं तथा नागालैंड में किसी कार्रवाई के दौरान शहीद हुए अन्य राज्य के निवासी के लिए लागू।

परिस्थिति	धनराशि (रू0 में)
मृत्यु के मामले में	01 लाख

21) ओडिशा :– राज्य सरकार ने ''रक्षा और अर्धसैनिक कर्मी राहत कोष, ओडिशा'' की स्थापना राज्य के रक्षा और अर्धसैनिक कर्मियों के उत्तराधिकारियों के लिए की है, जो युद्ध या आतंकवादी गतिविधियों के दौरान शहीद हुए हैं।

परिस्थिति	धनराशि (रू0 में)
मृत्यु के मामले में	05 लाख
मासिक पेंशन रू0 2000/– प्रतिमाह दिनांक 01.06.2012 से	
एंटी नक्सल ऑपरेशन में कर्तव्य निर्वहन के दौरान मारे गए के.स.पु.ब. के कर्मिको के उत्तराधिकारियों के लिए गृहराज्य में घर बनाने हेतु जमीन का आवंटन।	

22) पंजाब :– पंजाब राज्य से संबंधित सेना/के.स.पु.ब. के शहीद कर्मियों के उत्तराधिकारियों के लिए लागू।

परिस्थिति	धनराशि (रू0 में)
मृत्यु के मामले में	05 लाख
75 प्रतिशत से अधिक अक्षमता पर	04 लाख
51 से 75 फीसदी अक्षमता पर	02 लाख
25 से 50 प्रतिशत अक्षमता पर	01 लाख

23) राजस्थान :– (राज्य के निवासी जो किसी कार्रवाई के दौरान शहीद हुए हैं)

परिस्थिति	धनराशि (रू0 में)
पत्नी के लिए: 5 लाख या 1 लाख के साथ 25 बीघा भूमि या 1 लाख के साथ एमआईजी हाउसिंग बोर्ड हाउस जिसकी कीमत रु 4 लाख रु से अधिक है या यदि एमआईजी हाउस की वास्तविक कीमत 4 लाख रु से अधिक हो तो कुल कीमत राशि से 4 लाख की राशि के भुगतान का प्रावधान।	
माता–पिता के लिए: लघु बचत योजना के तहत मासिक आय योजना में 1.5 लाख जमा किया जाएगा।	
रोजगार: पत्नी या बेटे या अविवाहित पुत्री को रोजगार।	
<u>शिक्षा:</u> क. राज्य सरकार के स्कूल/कॉलेज/तकनीकी/चिकित्सा और इंजीनियरिंग कॉलेज में नि:शुल्क शिक्षा। ख. स्कूल जाने वाले बच्चों को रु 1800/– छात्रवृत्ति और कॉलेज/मेडिकल/इंजीनियरिंग और तकनीकी कॉलेज के छात्रों को रु 3,600/– छात्रवृत्ति देय।	
प्रथमिकता पर बिजली कनेक्शन व सिंचाई।	
आर. एस. आर. टी. सी. बसों में पत्नी और आश्रित के लिए पास।	

24) तमिलनाडु :– (किसी कार्रवाई के दौरान शहीद हुए राज्य के निवासी और राज्य में शहीद हुए अन्य राज्य के निवासी के लिए)

परिस्थिति	धनराशि (रू0 में)
कार्रवाई में मारे गए	20 लाख
पूर्णतया अक्षम/डबल एम्प्यूटी/पूर्ण नेत्रहीन होने पर	15 लाख

एकल एम्प्यूटी/एक आंख से नेत्रहीन होने पर	10 लाख

25) तेलंगाना :– चरमपंथी/आतंकवादी हिंसा में शहीद/स्थायी रूप से अक्षम/गंभीर रूप से चोटिल कर्मियों के लिए अनुग्रह राशि की दरें निम्नानुसार हैं:–

- राज्य में तैनाती के दौरान किसी कार्रवाई में शहीद हुए के.स.पु.ब. के कार्मिकों को इस तरह से अनुग्रह राशि दी जाएगी कि केन्द्र सरकार और संबंधित एजेंसियों और राज्य सरकार से प्राप्त कुल लाभ राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई राहत से अधिक नहीं होना चाहिए। अनुग्रह राशि के अलावा, राज्य में तैनात के.स.पु. बल के कर्मियों को सामूहिक कार्मिक दुर्घटना बीमा पॉलिसी के तहत भी शामिल किया जाएगा और कर्मियों की आकस्मिक मृत्यु के मामले में बीमा राशि रुपए 5 लाख (रैंक से इतर) भुगतान की जाएगी।

26) त्रिपुरा :– (राज्य के अंदर/बाहर किसी कार्रवाई में शहीद हुए राज्य के निवासी व अन्य राज्यों के निवासी जो राज्य में शहीद हुए हों)।

परिस्थिति	धनराशि (रू0 में)
कार्रवाई में मारे गए	02 लाख

27) उत्तर प्रदेश :– उत्तर प्रदेश पुलिस और सशस्त्र बल सहायता संस्थान द्वारा केंद्र/राज्य सरकार द्वारा संचालित अभियानों में सक्रिय ड्यूटी के दौरान शहीद/स्थाई रूप से अक्षम घोषित होने पर अर्धसैनिक बलों के उत्तराधिकारियों को निम्नानुसार लाभ प्रदान किए जाने का प्रावधान दिया गया है:–

- वार्षिक शिक्षा अनुदान:– वार्षिक शिक्षा अनुदान के लिए निम्नलिखित कक्षा/पाठ्यक्रमों हेतु आवेदन उ0प्र0 सरकार को भेजने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर निर्धारित की गई है। आवेदन दिवंगत कर्मी की अंतिम तैनाती इकाई के माध्यम से समस्त दस्तावेजों सहित इस कार्यालय को माह सितंबर तक भेजने होंगे तथा आवेदन के साथ दिवंगत/अक्षम कर्मी के पराक्रम/मृत्यु का विवरण अंकित किया जा आवश्यक है।

क्र0सं0	कक्षा/पाठ्यक्रम	दिनांक 01.01.2020 से पुनरीक्षित दर (प्रतिवर्ष)
1	9वीं से 12वीं तक	09 हजार
2	बी.ए./बी.कॉम./बी.एस.सी./बी.टी.सी./एल.टी./एल.एल.बी.	25 हजार
3	एम.ए./एम.कॉम./एम.एस.सी./एल.एल.एम./एम.एस.डब्ल्यू./एम.एड.पी.एच.डी. तथा एम. फिल.	36 हजार
4	पी.एच.डी./एल.एल.डी. तथा एम. फिल	75 हजार

- प्राविधिक/मैनेजीरियल/व्यावसायिक शिक्षा:–

क्र0सं0	पाठ्यक्रम	दिनांक 01.01.2020 से पुनरीक्षित दर (प्रतिवर्ष)
1	आई.टी.आई. सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम (जहां पर भर्ती के लिए न्यूनतम योग्यता हाई स्कूल या उसके समकक्ष हो)	15 हजार
2	डिप्लोमा पाठ्यक्रम (जहां पर भर्ती के लिए न्यूनतम योग्यता इंटरमीडिएट या उसके समकक्ष हो)	25 हजार
3	डिग्री पाठ्यक्रमों जैसेः बी.सी.ए./बी.बी.ए./बी.डी.एस./बी.ई.एम.एस./बीए.एम.एस./बी.एच.एम.एस.	30 हजार
4	बी.टेक/एम.टेक तथा एम.सी.ए./एम.बी.ए.	60 हजार
5	एम.बी.बी.एस.	01 लाख

- उपकरण खरदने के लिए सहायता:– उत्तर प्रदेश पुलिस एवं सशस्त्र बल सहायता प्रबंधन समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि शहीद की आश्रित पत्नी व बच्चे यदि व्यावसायिक प्रशिक्षण/पाठ्यक्रम करके रोजगार स्थापित करना चाहते हैं तो पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण व उससे संबंधित उपकरण क्रय करने के लिए संस्थान द्वारा एकमुश्त सहायता धनराशि रू0 20 हजार प्रदान की जाएगी।
- अनुग्रह अनुदान एवं लड़की की शादी हेतु सहायता राशि:– संचिव वित्त एवं सचिव, उ0प्र0 पुलिस व सशस्त्र बल सहायता संस्थान के पत्र सं0–अ.शा.प.सं.–टी.–188/10–13/71(अ.ब.) दिनांक 17.10.2018 के तहत केंद्र/राज्य सरकार द्वारा संचालित अभियानों में सक्रिय ड्यूटी के दौरान मृत्यु/स्थाई रूप से अक्षमता घोषित होने पर अनुग्रह अनुदान एवं लड़की की शादी हेतु दि0 04.10.2018 से पुनरीक्षित राशि निम्न प्रकार से देय है:–

क्र0सं0	अनुग्रह अनुदान	धनराशि
1	शहीद के मामले में (04 लाख उत्तराधिकारी को, 03 लाख माता–पिता को और उत्तराधिकारी को 03 लाख एफ.डी. के रूप में)	10 लाख
2	स्थाई रूप से अक्षम घोषित मामलों में (विकलांगता के आधार पर सेवानिवृत्त होने पर)	06 लाख
3	बेटी की शादी के लिए	02 लाख

28) उत्तराखण्ड :– राज्य से संबंधित सेना/के.स.पु.बल के कार्रवाई के दौरान शहीद हुए कर्मियों के उत्तराधिकारियों के लिए लागू।

परिस्थिति	धनराशि (रू0 में)
अनुग्रह राशि 10 लाख रूपए	
विवाहित शहीद कर्मी के मामले में:– (शहीद की पत्नी को रु 6 लाख और माता पिता को 4 लाख रूपए)	
यदि शहीद के माता–पिता जीवित नहीं हों तो पत्नी को 10 लाख का भुगतान किया जाएगा। यदि पत्नी जीवित नहीं है तो उक्त राशि में से माता–पिता को 4 लाख रु0 व शेष राशि 6 लाख का भुगतान शहीद के बच्चों को समान रूप से किया जाएगा। यदि पत्नी और माता–पिता जीवित नहीं हों तो 10 लाख रु0 का भुगतान बच्चों को समान रूप से किया जाएगा।	
अविवाहित मृतक व्यक्ति के मामले में:– (मृतक के माता/पिता को 10 लाख रुपए)	

29) पश्चिम बंगाल :– (अगर नक्सल प्रभावित जिलों बंकुरा/पुरूलिया/पश्चिम मिदनापुर) में सरकारी ड्यूटी का निर्वहन करते हुए एंटी लेफ्ट विंग ऑपरेशन्स के दौरान शहीद हुए हैं)

परिस्थिति	धनराशि
राज्य अनुग्रह राशि	02 लाख
एस.आर.ई. स्कीम के तहत अनुग्रह राशि	03 लाख (केवल एलडब्ल्यूई प्रभावित जिले हेतु)
एस. आर. ई. के तहत जी. पी. ए. आई. पास (केवल एल. डब्ल्यू. ई. प्रभावित जिलों के लिए)	
मृत्यु पर	10 लाख
घायल होने पर	05 लाख

चुनाव ड्यूटी के दौरान मृत्यु होने पर देय अनुग्रह राशि:– भारत के चुनाव आयोग के पत्र सं0–218/06/2019–ई.पी.एस. दिनांक 10.04.2019 के तहत चुनाव ड्यूटी के दौरान किसी भी दुर्घटना की स्थिति में अनुग्रह राशि के स्लैब को निम्नानुसार संशोधित किया गया है:–

- चुनाव ड्यूटी में कार्मिकों की दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं में मृत्यु होने पर परिजनों को रू0 15 लाख देय किए जाने का प्रावधान है।
- यदि मृत्यु दुर्भाग्य से चरमपंथी या असामाजिक तत्वों जैसे– रोडमाइन, बम्ब ब्लास्ट एवं सशस्त्र हमलों आदि में से किसी भी हिंसक कार्यों के कारण होती है तो मुआवजे की राशि 30 लाख रूपए देय होगी।
- स्थाई विकलांगता के मामले में जैसे– अंग की हानि, आंखों की दृष्टि खोने पर 07 लाख 50 हजार रूपए देय किए जाएंगे (इस तरह की विकलांगता उग्रवादी या असामाजिक तत्वों के कारण होने पर यह राशि दुगनी हो जाएगी)

ओपरेशनल कैजुअल्टी प्रमाण पत्र प्राप्तकर्ता विधवाओं के लिए बी.एस.एन.एल. लैंडलाइन कनेक्शन पर छूट:– भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा समस्त अर्धसैनिक बलों के पदाधिकारियों की वीर नारियों, जिन्हें बल की ओर से ओपरेशनल कैजुअल्टी प्रमाण पत्र जारी किया गया है उन्हें लैंडलाइन कनेक्शन लेने पर रजिस्ट्रेशन चार्ज एवं इंस्टायलेशन चार्ज शॅन तथा सामान्य चार्ज में 50 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी।

केन्द्रीय कल्याण निधि (अंशदान योजना)

दिनांक 31.05.2018 से सभी रैंक के पदाधिकारियों के वेतन से रु0 50/– प्रति माह के अंशदान पर निम्नलिखित सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं:–

क. आपतकालीन चिकित्सा उपचार के लिए कर्मियों को अग्रिम राशि।
ख. प्राकृतिक आपदा से प्रभावित कार्मिक को ब्याजरहित रु0 02 लाख का ऋण।
ग. बल स्तर के उत्सवों पर व्यय।
घ. नवसृजित वाहिनियों में रेजीमेंटल संस्थापनाओं जैसे वेट कैंटीन, ग्रेनशोप आदि की स्थापना हेतु अग्रिम धनराशि उपलब्ध करवाना।
ड. जवानों के कल्याण के लिए अन्य कल्याणकारी गतिविधियों के लिए अग्रिम।
च. बल कर्मियों को पूरी सेवा के दौरान 02 बार अपने पुत्र/पुत्री/स्वयं/बहन व भाई के विवाह के लिए 3 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर से 2 लाख रू0 का ऋण देय है।

केंद्रीय हितकारी निधि से वित्तीय लाभ (अंशदायी योजना):–

महानिदेशक, भा.ति.सी.पु. बल की अध्यक्षता में दि0 15.03.2021 को आयोजित रेजीमेंटल निधि (केंद्रीय हितकारी निधि) की विशेष शासी निकाय बैठक में निर्णय लिया गया कि केंद्रीय हितकारी निधि में बल के पदाधिकारियों द्वारा जमा मासिक अंशदान रू0 600/– को सेवानिवृत्ति/सेवामुक्ति/प्रत्यावर्तन पर कार्यमुक्त होने वाले पदाधिकारियों को रूपए 300/– प्रतिमाह की दर से बिना ब्याज के वापस किया जाएगा और शेष राशि रू0 300/– प्रतिमाह जवानों के जोखिम कवर के लिए निधि में जमा रखी जाएगी अथवा सेवानिवृत्ति/सेवामुक्ति/प्रत्यावर्तन पर कार्यमुक्त होने वाले पदाधिकारियों को कुल जमा अंशदान राशि का 50 प्रतिशत बिना ब्याज के वापस किया जाएगा।

उपर्युक्त निर्णय दि0 15.03.2021 से लागू किए जाते हैं। निम्नानुसार देय किए जाने हेतु भी निर्णय इसी तिथि से लिया गया है:–

S.No.	Particulars	Benefits
1.	Any kind of death (Including suicidal death)	25 Lakh
2.	(i) **Missing** (ii) **Missing converted into death**	20 Lakh 25 Lakh
3.	**Medical Board Out on Disability** (i) Disability : 40% to 50% (ii) Disability : 51% to 75% (iii) Disability : 76% to 100% Note: If medically moarded mut person gets reinstate in future and missing personnel appears in future, the amount will be refunded by the individual and the NOK immediately.	 08 Lakh 10 Lakh 15 Lakh
4	Refund of 50% of the total principal amount to the Force personnel at the time of retirement/discharge/repatriation without interest w.e.f. 15.03.2021 and before 15.03.2021, total principal amount with simple rate of interest @2% based on GPF calculation formula is to be paid.	

- केंद्रीय हितकारी निधि के अन्य निबंधन व शर्तें वही रहेंगी।

केंद्रीय हितकारी निधि से देय लाभांशों के संबंध में प्रावधान निम्नानुसार होंगे:–

(i) बल के पुरूष पदाधिकारियों की मृत्यु के मामले में:– केंद्रीय हितकारी निधि से दी जाने वाली तत्काल वित्तीय सहायता राशि का वितरण मृतक कर्मी के परिवार को निम्नलिखित 03 श्रेणियों में विभाजित कर प्रतिशतता के आधार पर किया जाएगा:–

श्रेणी 1–

दी की जाने वाली राशि का 40 प्रतिशत हिस्सा मृतक कर्मी की पत्नी का देय किया जाएगा।

श्रेणी 2–

दी जाने वाली राशि का 30 प्रतिशत हिस्सा मृतक कर्मी के सभी बच्चों (नाबालिग व बालिग) और आश्रित नाबालिग भाई/बहन में बराबर–बराबर वितरित किया जाएगा।

श्रेणी 3–

दी जाने वाली राशि का 30 प्रतिशत हिस्सा मृतक के आश्रित माता–पिता को देय किया जाएगा।

नोट:

(क) यदि, पत्नी जीवित नहीं है तो, पत्नी के हिस्से की 40 प्रतिशत धनराशि को बच्चों (नाबालिग व बालिग) और आश्रित नाबालिग भाई/बहन तथा आश्रित माता–पिता में समान रूप से विभाजित किया जाएगा।

(ख) यदि, मृतक कर्मी के बच्चे (नाबालिग व बालिग) और आश्रित नाबालिग भाई/बहन नहीं हैं तो 30 प्रतिशत धनराशि धर्मपत्नी एवं आश्रित माता–पिता में समान रूप से विभाजित की जाएगी।

(ग) यदि, मृतक कर्मी के माता–पिता नहीं हैं तो माता–पिता के हिस्से की 30 प्रतिशत धनराशि धर्मपत्नी एवं बच्चों (नाबालिग व बालिग) और आश्रित नाबालिग भाई/बहन में समान रूप से विभाजित की जाएगी।

(घ) उपरोक्त वर्णित 03 श्रेणियों में कोई भी 02 श्रेणियां जीवित नहीं हैं तो 100 प्रतिशत देय लाभांश धनराशि का भुगतान जीवित श्रेणी के लाभार्थी को किया जाएगा अथवा लाभार्थियों में समान रूप से विभाजित किया जाएगा।

(ii) बल के महिला पदाधिकारियों की मृत्यु के मामले में:– केंद्रीय हितकारी निधि से दी जाने वाली तत्काल वित्तीय सहायता राशि का वितरण मृतक महिला कर्मिका के परिवार को निम्नलिखित 03 श्रेणियों में विभाजित कर प्रतिशतता के आधार पर किया जाएगा:–

श्रेणी 1–

दी की जाने वाली राशि का 40 प्रतिशत हिस्सा मृतक महिला कर्मिका के पति का देय किया जाएगा।

श्रेणी 2–

दी जाने वाली राशि का 30 प्रतिशत हिस्सा मृतक महिला कर्मिका के सभी बच्चों (नाबालिग व बालिग) और महिला कर्मिका के आश्रित नाबालिग भाई/बहन में समान रूप से विभाजित किया जाएगा।

श्रेणी 3–

दी जाने वाली राशि का 30 प्रतिशत हिस्सा मृतक महिला कर्मिका के स्वयं के आश्रित माता–पिता को समान रूप से देय किया जाएगा।

श्रेणी 3–

यदि, मृतक महिला कर्मिका के पति जीवित नहीं हैं एवं कर्मिका के बच्चे (नाबालिग व बालिग) और आश्रित नाबालिग भाई/बहन नहीं हों तो 100 प्रतिशत धनराशि कर्मिका के आश्रित माता–पिता एवं आश्रित सास–ससुर में समान रूप से विभाजित की जाएगी।

नोट:

(क) यदि, पति जीवित नहीं है तो, पति के हिस्से की 40 प्रतिशत धनराशि को मृतक महिला कर्मिका के बच्चों (नाबालिग व बालिग) और आश्रित नाबालिग भाई/बहन तथा आश्रित सास–ससुर में समान रूप से विभाजित किया जाएगा।

(ख) यदि, मृतक महिला कर्मिका के बच्चे (नाबालिग व बालिग) और आश्रित नाबालिग भाई/बहन नहीं हैं तो 30 प्रतिशत धनराशि कर्मिका के पति एवं कर्मिका के आश्रित माता–पिता में समान रूप से विभाजित की जाएगी।

(ग) यदि, मृतक महिला कर्मिका के माता–पिता नहीं हैं तो माता–पिता के हिस्से की 30 प्रतिशत धनराशि कर्मिका के पति एवं बच्चों (नाबालिग व बालिग) और आश्रित नाबालिग भाई/बहन में समान रूप से विभाजित की जाएगी।

(घ) उपरोक्त वर्णित 04 श्रेणियों में कोई भी 03 श्रेणियां जीवित नहीं हैं तो 100 प्रतिशत देय लाभांश धनराशि का भुगतान उपरोक्त चारों में से किसी एक श्रेणी के लाभार्थी को देय होगा अथवा लाभार्थियों में समान रूप से विभाजित किया जाएगा।

(iii) मृतक कर्मी के परिवार को तत्काल वित्तीय सहायता प्रदान करने से पूर्व संबंधित कार्यालयाध्यक्ष आवश्यक सत्यापन, जांच एवं अन्य औपचारिकताएं 20 दिन के अंतर्गत पूर्ण करने के बाद मामला सभी दस्तावेज सहित महानिदेशालय को राशि के भुगतान हेतु प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे। आश्रित नाबालिग बच्चों की धनराशि को सावधि जमा के रूप में रखने के लिए अभिभावक/संरक्षक नियुक्त करवाने की जबाबदेही पारिवारिक वस्तुस्थिति के अनुसार संबंधित कार्यालयाध्यक्ष की होगी। कार्यालयाध्यक्ष, केवल विवाद (Dispute) की स्थिति में कानूनी औपचारिकताओं को ध्यान में रखते हुए अभिभावक/संरक्षक के संबंध में न्यायसंगत निर्णय लेंगे।

(iv) यदि, मृतक कर्मी की पत्नी गर्भावस्था की स्थिति में हो तो कार्यालयाध्यक्ष जच्चा–बच्चा कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र और संरक्षक/अभिभावक प्रमाण पत्र महानिदेशालय को प्रेषित करने के उपरांत ही बच्चे के हिस्से की तत्काल सहायता राशि केंद्रीय हितकारी निधि, महानिदेशालय से जारी की जाएगी, जिसे कार्यालयाध्यक्ष सावधि जमा के रूप में संबंधित को जारी करेगा।

(v) भविष्य में, उपरोक्त के अतिरिक्त यदि ऐसा कोई मामला प्राप्त होता है, जिसके लिए तत्काल वित्तीय सहायता हेतु प्रदान की जाने वाली राशि को उपर्युक्त वर्णित श्रेणियों में विभाजित करना संभव न हो तो शासी निकाय द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि संबंधित कार्यालयाध्यक्ष अपनी विनिर्दिष्ट अनुशंसा के साथ प्रकरण रेजीमेंटल फंड, महानिदेशालय, भा0ति0सी0पु0 बल को निपटान हेतु भेजेगा, जिस पर शासी निकाय के पदाधिकारी एवं स्थाई सदस्यों द्वारा उचित निर्णय के बाद धनराशि का भुगतान किया जाएगा।

शिशु शिक्षा भत्ता:–

सेवारत/दिवंगत कर्मियों के बच्चों के लिए :–

क) शिशु शिक्षा भत्ता की प्रतिपूर्ति के लिए निर्धारित राशि रूपए 2250/– मासिक।

ख) छात्रावास सब्सिडी की प्रतिपूर्ति के लिए निर्धारित राशि रूपए 6750/– मासिक।

ग) यदि दोनों पति–पत्नी सरकारी कर्मचारी हैं, तो उनमें से केवल एक ही शिशु शिक्षा भत्ता प्रतिपूर्ति का लाभ उठा सकता है।

घ) संशोधित वेतन संरचना पर मंहगाई भत्ता 50 प्रतिशत बढ़ने पर शिशु शिक्षा भत्ते में 25 प्रतिशत की प्रत्येक बार बढ़ोत्तरी हो जाएगी। दिव्यांग बच्चों के लिए यह भत्ता दोगुना हो जाएगा।

➢ प्रति वर्ष वित्तीय वर्ष समाप्त होने के बाद एक बार ही शिशु शिक्षा भत्ता की प्रतिपूर्ति की जाएगी। शिशु शिक्षा भत्ता की प्रतिपूर्ति के लिए उस संस्थान प्रमुख से प्रमाण पत्र काफी होगा कि कर्मी की संतान ने वहां अध्ययन किया है। प्रमाण पत्र में यह पुष्टि होनी चाहिए कि पिछले शैक्षिक सत्र में बच्चा स्कूल में अध्ययनरत था। हॉस्टल सब्सिडी के लिए भी संस्था प्रमुख का इसी प्रकार प्रमाण पत्र पर्याप्त होगा। सर्टिफिकेट में आवासीय परिसर में रहने और बोर्डिंग के लिए सरकारी कर्मचारी द्वारा किए गए व्यय की राशि का अतिरिक्त उल्लेख होना चाहिए। उल्लेखित व्यय की राशि या उपर्युक्त वर्णित सीमा, जो भी कम हो, उसका कर्मचारी को भुगतान होगा। यह आदेश 1 जुलाई 2017 से प्रभावी होंगे।

केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल एवं असम राइफल और एन.एस.जी. के गुम हुए/अक्षम/किसी कार्रवाई के दौरान शहीद हुए पदाधिकारियों के बच्चों को शिक्षा अनुदान में दी जाने वाली छूट का विवरण निम्नानुसार है :–

ट्यूशन शुल्क	पूर्ण प्रतिपूर्ति
हॉस्टल शुल्क	पूर्ण प्रतिपूर्ति
किताब/स्टेशनरी की लागत	रू0 2000/– प्रतिवर्ष
वर्दी की लागत	रू0 2000/– प्रतिवर्ष
वर्दी आदि	रू0 700/– प्रतिवर्ष

क. ट्यूशन और छात्रावास शुल्क की संयुक्त राशि रुपए 10,000/– मासिक से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 50 प्रतिशत डी0ए0 बढ़ने पर भत्ता प्रत्येक बार 25 प्रतिशत तक बढ़ जाएगा।

ख. यह आदेश 1 जुलाई, 2017 से प्रभावी हैं।

ग. शिक्षा अनुदान हेतु आवेदन गुम/अक्षम/शहीद कर्मी की अंतिम तैनाती वाहिनी को शैक्षिक सत्र समाप्त होने पर प्रस्तुत किया जाएगा।

आईटीबीपी कार्मिक के बच्चों के लिए क्रेच/देखभाल केंद्र निम्नांकित स्थानों पर उपलब्ध हैं:– 11वीं वाहिनी, पेगोंग (सिक्किम), 12वीं वाहिनी, मातली (उत्तराखंड), 35वीं वाहिनी, माहीडाण्डा, 50वीं वाहिनी, रामगढ़, परिवहन वाहिनी, चण्डीगढ़, आईटीबीपी अकादमी, मसूरी (उत्तराखण्ड), क्षेत्रीय मुख्यालय (देहरादून), क्षेत्रीय मुख्यालय (बरेली), एम. एण्ड एस. आई, औली (उत्तराखण्ड)।

संचालन नियंत्रण केंद्र :– अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड ने विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर आईटीबीपी संचालन नियंत्रण केंद्रों की स्थापना के लिए मंजूरी दी है:–

क. जम्मू, उधमपुर, हजरत निज़ामुद्दीन, दिल्ली, आनंद विहार, नई दिल्ली, चंडीगढ़, हरिद्वार, लखनऊ, न्यू जलपाई गुडी., गुवाहाटी और बरेली।

ख. वर्तमान में गुवाहाटी, हरिद्वार, ऊधमपुर और बरेली रेलवे स्टेशनों पर आईटीबीपी कर्मियों और उनके परिवारों की सहायता के लिए संचालन नियंत्रण केंद्र संचालित किए गए हैं।

राष्ट्रीय कौशल विकास निगम :–

क. आई.टी.बी.पी., एन.एस.डी.सी और एन.एस.डी.एफ. ने आईटीबीपी कार्मिक, सेवानिवृत्त कर्मियों और शहीदों के परिवारों के बच्चों/परिवार के सदस्यों के कल्याण के रूप में कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए 27.06.17 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

ख. एन.एस.डी.सी. ने इस कार्यालय के साथ पूरे देश में एन.एस.डी.सी. के अनुमोदित प्रशिक्षण भागीदारों/केंद्रों की एक सूची साझा की है। पी.एम.के.वी.वाई. के तहत कौशल प्रशिक्षण में रूचि रखने वाले सेवारत/सेवानिवृत्त कर्मियों के परिवार/बच्चे इन केंद्रों में से किसी एक पर सीधे पंजीकरण कर सकते हैं।

ग. इस सूची को आई.टी.बी.पी. की सभी फॉरमेशन के साथ साझा किया गया है ताकि परिवार/बच्चों में इसका व्यापक प्रचार सुनिश्चित हो व इच्छुक परिवार/बच्चे कौशल प्रशिक्षण ले सकें।

आई.टी.बी.पी. पब्लिक स्कूल, द्वारका:– आई.टी.बी.पी. पब्लिक स्कूल, द्वारका, नई दिल्ली को दिनांक 01.07.2013 को एक महत्वाकांक्षी परियोजना के रूप में शुरू किया गया है, जो बल कर्मिकों के बच्चों और सिविल सोसाइटी के सदस्यों की गुणवत्तपूर्ण शिक्षा की जरूरतों को पूरा कर रहा है।

- सहबद्धता:– सी.बी.एस.ई. से मान्यता प्राप्त (एफिलेशन नं0–2730813, पंजीकरण सं0–1821284 व स्कूल नं0–75955)
- प्रवेश प्रक्रिया:– 60 प्रतिशत आई.टी.बी.पी. कोटा, 25 प्रतिशत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं शेष कोटे को डी.डी.ई. के मानदंड़ एवं दिल्ली सरकार के मानदंड़ों के अनुसार भरा जाएगा।
- पाठ्यक्रम:– सी.बी.एस.ई. के मानदंड़ों क अनुसार एन.सी.ई.आर.टी. का पाठ्यक्रम पढाया जा रहा है।
- स्कूल में उपलब्ध सुविधाएं:– स्कूल में स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर लैब, इनडोर शूटिंग रेंज, ड्राइविंग सिम्यूलेटर, इनडोर व आउटडोर खेल सुविधा, समस्त सुविधाओं से लैस प्रयोगशाला, वाटर आर.ओ. व पुस्तकालय आदि की सुविधाएं उपलब्ध हैं।
- बल कार्मिकों के बच्चों के लिए हॉस्टल सुविधा:– स्कूल में बल कार्मिकों के बच्चों के लिए हॉस्टल की सुविधा मुहैया करवाई गई है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, पाठ्यक्रम पुस्तकों/मासिक शुल्क/स्कूल की ड्रेस व छात्रावास में ठहरने और बोर्डिंग शुल्क के लिए आवश्यक कुल व्यय सरकार द्वारा प्रतिवर्ष कार्मिकों को देय शिशु शिक्षा भत्ता/छात्रावास सब्सिडी की धनराशि के बराबर है।
- स्टॉफ:– स्कूल में भली–भांति योग्य, प्रशिक्षित व अनुभवी आध्यपकों का स्टॉफ उपलब्ध है।
- कक्षा:– द्वारका पब्लिक स्कूल के.जी. से 12वीं कक्षा तक चलाया जा रहा है।

नोट:– बल के समस्त कार्मिकों के लिए यह एक सुनहरा अवसर है जो बिना किसी अतिरिक्त खर्च के दिल्ली में उचित बोर्डिंग शिक्षा की सुविधा प्रदान करवाना चाहते हैं, क्योंकि सभी शुल्क हॉस्टल प्रतिपूर्ति भत्ते में ही शामिल होंगे। यदि घर तथा स्कूल में 50 किमी0 से ज्यादा दूरी है तो नियमानुसार हॉस्टल सब्सिडी भी देय है। इसके अतिरिक्त बल की विभिन्न फॉर्मेशनों में भी 22 अन्य आई.टी.बी.पी. स्कूल चलाए जा रहे हैं।

आई.टी.बी.पी. की विभिन्न फॉर्मेशनों में चलाए जा रहे आई.टी.बी.पी. सकूल का विवरण:

क्र.सं.	फॉर्मेशन	कक्षा	क्र.सं.	फॉर्मेशन	कक्षा
1	प्रथम वाहिनी, जोशमठ	एल.के.जी./यू.के.जी.	13	परिवहन वाहिनी, चंडीगढ़	एल.के.जी./यू.के.जी.
2	आठवीं वाहिनी, गौचर	एल.के.जी./यू.के.जी.	14	एस.टी.एस., शिवपुरी	एल.के.जी./यू.के.जी.
3	नवीं वाहिनी, लोहितपुर	एल.के.जी./यू.के.जी.	15	एम. एंड एस.आई., औली	एल.के.जी./यू.के.जी.
4	14वीं वाहिनी पिथौरागढ	एल.के.जी./यू.के.जी.	16	क्षे0मु0 (देहरादून)	एल.के.जी./यू.के.जी.
5	17वीं वाहिनी, रिकांगपिओ	एल.के.जी./यू.के.जी.	17	11वीं वाहिनी, पेगोंग	एल.के.जी. से तीसरी कक्षा तक
6	18वीं वाहिनी, प्रयागराज	एल.के.जी./यू.के.जी.	18	41वीं वाहिनी, खुर्दा (ओडिशा)	एल.के.जी. से प्रथम कक्षा तक
7	19वीं वाहिनी, सराहन	एल.के.जी./यू.के.जी.	19	45वीं वाहिनी, मदुरै	एल.के.जी. से 5वीं कक्षा तक
8	22वीं वाहिनी, दिल्ली	एल.के.जी./यू.के.जी.	20	नवीं वाहिनी, मोहनबाडी	एल.के.जी. से 12वीं तक
9	29वीं वाहिनी, जबलपुर	एल.के.जी./यू.के.जी.	21	20वीं वाहिनी, अलोंग	एल.के.जी. से 12वीं तक
10	32वीं वाहिनी, कानपुर	एल.के.जी./यू.के.जी.	22	एस.एस. वाहिनी, सबोली	एल.के.जी. से 12वीं तक
11	35वीं वाहिनी, माहिडांडा	एल.के.जी./यू.के.जी.			
12	सपोर्ट वाहिनी, करेरा	एल.के.जी./यू.के.जी.			

कैंटीन सुविधाएं :– वर्तमान में आईटीबीपी में कुल 12 मास्टर कैंटीन और 83 सब्सिडियरी कैंटीन चलाई जा रही हैं, जिनका विवरण इस प्रकार हैं–

अ) मास्टर कैंटीन:– क्षेत्रीय मुख्यालय (शिमला), क्षेत्रीय मुख्यालय (देहरादून), क्षेत्रीय मुख्यालय (बरेली), पूर्वोत्तर सीमांत मुख्यालय, 22वीं वाहिनी, क्षेत्रीय मुख्यालय (लददाख), भा.ति.सी.पु. 56 ए.पी.ओ., सपोर्ट वाहिनी, करेरा (म.प्र.), परिवहन वाहिनी, चण्डीगढ, प्राथमिक प्रशिक्षण केन्द्र, भानू, 14वीं वाहिनी, पिथौरागढ, एस.एस. वाहिनी, क्षेत्रीय मुख्यालय (गंगटोक) सिक्किम.।

ब) सहायक कैंटीन :– प्रथम वाहिनी, द्वितीय वाहिनी, तृतीय वाहिनी, चतुर्थ वाहिनी, पंचम वाहिनी, 6ठी वाहिनी, 7वीं वाहिनी, 8वीं वाहिनी, 9वीं वाहिनी, 10वीं वाहिनी, 11वीं वाहिनी, 12वीं वाहिनी, 13वीं वाहिनी, 14वीं वाहिनी, 15वीं वाहिनी, 16वीं वाहिनी, 17वीं वाहिनी, 18वीं वाहिनी, 19वीं वाहिनी, 20वीं वाहिनी, 21वीं वाहिनी, 22वीं वाहिनी, 23वीं वाहिनी, 24वीं वाहिनी, 25वीं वाहिनी, 26वीं वाहिनी, 27वीं वाहिनी, 28वीं वाहिनी, 29वीं वाहिनी, 30वीं वाहिनी, 31वीं वाहिनी, 32वीं वाहिनी, 33वीं वाहिनी, 34वीं वाहिनी, 35वीं वाहिनी, 36वीं वाहिनी, 37वीं वाहिनी, 38वीं वाहिनी, 39वीं वाहिनी, 40वीं वाहिनी, 41वीं वाहिनी, 42वीं वाहिनी, 43वीं वाहिनी, 44वीं वाहिनी, 45वीं वाहिनी, 46वीं वाहिनी, 47वीं वाहिनी, 48वीं वाहिनी, 49वीं वाहिनी, 50वीं वाहिनी, 51वीं वाहिनी, 52वीं वाहिनी, 53वीं वाहिनी, 54वीं वाहिनी, 55वीं वाहिनी, 56वीं वाहिनी, महानिदेशालय, केन्द्रीय कार्यालय परिसर, पूर्वी सीमांत मुख्यालय, सेंट्रल फंटियर, भा.ति.सी.पु., अकादमी, क्षे0मु0 (बैंगलूरू), क्षे0मु0 (लददाख), प्राथमिक प्रशिक्षण केन्द्र, भानू, क्षे0मु0 (गंगटोक), क्षे0मु0 (ईटानगर), क्षे0मु0 (लखनऊ), क्षे0मु0 (पटना), क्षे0मु0 (शिमला), क्षे0मु0 (भुवनेश्वर), सी.टी.सी. (अलवर), एम.डी.एस. (अल्मोड़ा), आर.टी.सी. (शिवगंगई), आर.टी.सी. (करेरा), आर.टी.सी. (किमिन), रेफरल अस्पताल, एम.पी.एस.डी., एम. एण्ड एस.आई. औली, सी.आई.जे.डब्ल्यू. माहीडांडा, सपोर्ट वाहिनी, दूरसंचार वाहिनी, परिवहन वाहिनी, एस.एस.वाहिनी, क्षे0मु0 (लेखाबली)।

सुविधा वाहन :–

स्थान	टोयोटा इनोवा	फोर्स ट्रेवलर	स्वराज माजदा
उत्तरी सीमांत मुख्यालय	01 क्षे.मु. (शिमला) 01 द्वितीय वाहिनी, कुल्लू 01 उत्तरी सीमांत मुख्यालय, देहरादून 01 ट्रांज़िट कैंप, ऋषिकेश	01 उत्तरी सीमांत मुख्यालय, देहरादून 01 ट्रांजिट कैंप, ऋषिकेश 01 द्वितीय वाहिनी, कुल्लू	–
पूर्वोत्तर सीमांत मुख्यालय	01–33वीं वाहिनी, गुवाहाटी	01–33वीं वाहिनी, गुवाहाटी	–
पूर्वी सीमांत मुख्यालय	01 क्षे.मु. (गंगटोक) 01 ट्रांजिट कैंप, काठगोदाम	01 ट्रांजिट कैंप, काठगोदाम 01 पूर्वी सीमांत	–

स्थान	टोयोटा इनोवा	फोर्स ट्रेवलर	स्वराज माजदा
	01 पूर्वी सीमांत मुख्यालय, लखनऊ	मुख्यालय, लखनऊ	
उत्तरी–पश्चिम सीमांत मुख्यालय	01–52वीं वाहिनी,अमृतसर 02 क्षे.मु. (लेह) 01–39वीं वाहिनी 01 उ.प.सीमांत मुख्यालय, चण्डीगढ़	01–39वीं वाहिनी, नोएडा 01 उ.प.सीमांत मुख्यालय,चण्डीगढ़	–
केंद्रीय सीमांत मुख्यालय	01 केंद्रीय सीमांत मुख्यालय, भोपाल 01 क्षे.मु. (बैंगलुरू) 01–45वीं वाहिनी, मदुरै 01 क्षे.मु. (पटना)	01–27वीं वाहिनी, केरल 01–41वीं वाहिनी, भुवनेश्वर	–
महानिदेशालय भा.ति.सी.पु. बल	02 महानिदेशालय, भा.ति.सी.पु. बल	–	01 महानिदेशालय, भा.ति.सी.पु.बल
अकादमी	01 अकादमी,मसूरी	–	–
प्रशिक्षण परिक्षेत्र	–	01 आर.टी.सी (करेरा)	–
कुल	20	11	01

वर्तमान दर :–

हल्का सुविधा वाहन (इनोवा)	रु. 8/– प्रति कि.मी.
मध्यम सुविधा वाहन (फोर्स ट्रेवलर)	रु. 13/–प्रति कि.मी.
स्वराज माजदा	रु. 20/–प्रति कि.मी.
हर इण्डेंट पर दूरी सीमा	1600 कि.मी.
हर इण्डेंट पर समय सीमा	05 दिन

महानिदेशालय और बल की सभी फॉर्मेशनों में शिकायत और कल्याण प्रकोष्ठ :– शिकायत और कल्याण प्रकोष्ठ, उप महानिरीक्षक (कल्याण), महानिदेशालय के अधीन बल में कार्यरत कर्मियों, सेवानिवृत्त कर्मियों एवं उनके परिवारों तथा शहीद कर्मियों के आश्रितों की शिकायतों की देखभाल और निगरानी करने के लिए क्रियाशील है। शिकायत निवारण के लिए नोडल अधिकारी वाहिनी स्तर तक नियुक्त किए गए हैं। समस्त फॉर्मेशनों में शिकायत निवारण प्रकोष्ठ स्थापित किए गए हैं, जिन्हें वीर नारियों/सेवानिवृत्त पदाधिकारियों से साप्ताहिक रूप से परस्पर मिलने के दिशा–निर्देश भी जारी किए गए हैं।

आई.टी.बी.पी. शिकायत पोर्टल :– आईटीबीपी शिकायत पोर्टल का उपयोग कर बल के कर्मचारी अपनी शिकायतों को ऑनलाइन पंजीकृत कर सकते हैं।

एस.एम.एस. हेल्पलाइन :– बल के कर्मचारी उप महानिरीक्षक (कल्याण) के मोबाइल नंबरः 9560070212 पर एस.एम.एस के माध्यम से अपनी शिकायतें भी पंजीकृत कर सकते हैं।

प्रैप मंत्रा :–

क. AyiBo Solution Private Limited ने गृह मंत्रालय, के.स.पु.बल के सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मियों और उनके परिवार के सदस्यों को मुफ्त शिक्षा के पैकेज उपलब्ध किए गए हैं।

ख. इसके लिंक आईटीबीपी वेबसाइट पर उपलब्ध है।

<u>प्रैप मंत्रा ऑफरः–</u>

क. यह एक बौद्धिक रूप से प्रभावशाली मंच है जो प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए तैयारी में मदद करता है।

ख. 30 से अधिक व्यावसायिक पाठ्यक्रम और सभी प्रमुख भर्ती/प्रवेश परीक्षाओं को शामिल करता है।

ग. प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए अच्छी तरह से संगठित अध्ययन सामग्री (नोट्स और वीडियो) मुहैया करवाता है।

घ. विद्यार्थी विषय पर आधारित असीमित अभ्यास परीक्षा दे सकते हैं।

ङ. विस्तृत प्रदर्शन आंकड़ें छात्रों को अन्य छात्रों से प्रतिस्पर्धा व स्वयं की तैयारी के आधार अपनी कमजोरी और समर्थ का विस्तृत विश्लेषण करने में सहायक होते हैं।

च. प्रैप मंत्रा की विशेषता है कि छात्रों को सहयोग पूर्ण सीखने के माहौल में अपनी परीक्षा हेतु तैयार करने में सक्षम बनाती हैं। इनमें छात्र से छात्र की बातचीत, नेटवर्किंग, तुलनात्मक बेंचमार्किंग, चुनौतियाँ और प्रतियोगिताएं शामिल हैं।

कल्याण एवं पुनर्वास बोर्ड :– कल्याण और पुनर्वास बोर्ड की स्थापना केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के सेवानिवृत्त कर्मियों और उनके परिवारों की शिकायतों एवं उनके कल्याण के निवारण के उद्देश्य से की गई थी। वर्तमान में, 01 सेंट्रल वेलफेयर अधिकारी, 04 राज्य कल्याण अधिकारी और 19 जिला कल्याण अधिकारियों को आईटीबीपी में कल्याण के कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए नामांकित किया गया है।

राज्य कल्याण अधिकारी :– महानिरीक्षक, पूर्वोत्तर सीमांत मुख्यालय, भातिसीपु बल, ईटानगर, पत्रालय–खातिंग पहाड़ी, जिला–पपुमपारे, ईटानगर (अरूणाचल प्रदेश)–791111। उप महानिरीक्षक, क्षे0मु0 (शिमला) भातिसीपु बल, पत्रालय–तारादेवी, जिला–शिमला, हिमाचल प्रदेश–171010। उप महानिरीक्षक, क्षे0मु0 (देहरादून) भातिसीपु बल, सीमाद्वार, जिला–देहरादून (उत्तराखण्ड)। उप महानिरीक्षक, क्षे0मु0(गंगटोक), भातिसीपु बल, मेट्रो प्वाईंट के नीचे, पत्रालय–समदूर (टडोंग) पूर्व सिक्किम–737102.

जिला कल्याण अधिकारी:– उप महानिरीक्षक, क्षे0मु0(लद्दाख), भातिसीपु बल, चुगलमसर, जिला–लेह (लद्दाख)। उप महानिरीक्षक, क्षे0मु0 (शिमला) भातिसीपु बल, पत्रालय–तारादेवी, हिमाचल प्रदेश–171010। उप महानिरीक्षक, क्षे0मु0 (गंगटोक), भातिसीपु बल, मैट्रो प्वाईंट के नीचे, पत्रालय–समदूर (टडोंग), पूर्व सिक्किम–737102। उप महानिरीक्षक, माउंटेन ड्राइविंग स्कूल, जिला–अल्मोड़ा (उत्तराखण्ड)–263643। सेनानी, दूरसंचार वाहिनी, भातिसीपु बल, शिवपुरी, जिला–शिवपुरी (मध्यप्रदेश)–473551। सेनानी, एस.एस.वाहिनी, भातिसीपु बल सबोली कैंप, पत्रालय–नाथूपुर, जिला–सोनीपत (हरियाणा)–131029।

सेनानी, द्वितीय वाहिनी, भातिसीपु बल पत्रालय–बबेली, जिला–कुल्लू (हि0प्र)–175138। सेनानी, 8वीं वाहिनी, भातिसीपु बल, पत्रालय–गौचर, जिला–चमोली (उत्तराखण्ड)–246429। सेनानी 9वीं वाहिनी, भातिसीपु बल मार्फत 99 ए.पी.ओ, लोहितपुर (अरूणाचल प्रदेश)। सेनानी 10वीं वाहिनी, भातिसीपु बल पत्रालय– किमिन, जिला–पापुमपारे, ईटानगर, (अरूणाचल प्रदेश)–791121 मार्फत 99 ए.पी.ओ.। सेनानी, 12वीं वाहिनी, भातिसीपु बल, मातली, जिला–उत्तरकाशी (उत्तराखण्ड)–249193। सेनानी, 17वीं वाहिनी, भा.ति.सी.पु. बल, पत्रालय–रिकांगपिओ, जिला– किन्नौर (हि.प्र.)–172107। सेनानी, 20 वीं वाहिनी, भातिसीपु बल, अलोंग, जिला–वेस्ट सियांग ईटानगर (अरुणाचल प्रदेश)– 791001, मार्फत 099 ए.पी.ओ.। सेनानी, 23वी वाहिनी, भातिसीपु बल पत्रालय– सीमाद्वार, जिला–देहरादून (उत्तराखण्ड)–248146। सेनानी, 25वीं वाहिनी, भातिसीपु बल, पत्रालय तेजू, जिला– लोहितपुर, (अरुणाचल प्रदेश)– 792001। सेनानी, 27वीं वाहिनी, भा.ति.सी.पु. बल, पत्रालय–केरल, नूरनंद संतोरियम, केरल–695010। सेनानी, 36वी वाहिनी, भा.ति.सी.पु., लोहाघाट, जिला–चम्पावत (उत्तराखण्ड)–262524। सेनानी, 45वीं वाहिनी भा.ति.सी.पु. बल, ईंडियापट्टी कैम्प, जिला–मदुरै, राज्य–तमिलनाडु–625110। सेनानी, 53वीं वाहिनी, भा0ति0सी0पु0 बल, गांव–पालम मण्डल, पत्रालय–कालीकीरी, जिला– चित्तूर (आन्ध्र प्रदेश)।